सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 25, बुधवार, *शाके* 1946-मई 15, 2024 *Vaisakha 25, Wednesday , Saka 1946- May 15, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

इन्दिरा गांधी नहर विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 22, 2024

संख्या एफ 3(2)इगानवि/भू.अ./2023 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अन्तर्गत परियोजना Development of Escape Reservoir at RD 1121 of IGMC FOR Storage of excess Water for JJM Scheme के तहत् निर्माण कार्य हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता 24 वॉ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फलौदी को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4(6) के अन्तर्गत संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी इ.गा.न.प.,बीकानेर को उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न-सूची

आज्ञा से,

जितेन्द्र दीक्षित,

शासन उप सचिव,

इन्दिरा गांधी नहर विभाग,

जयपुर।

विवरण

फॉर्म-2

(देखे नियम-5)

पार्ट-बी

समाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

समाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता 24 वां खण्ड इगानप फलोदी
(क)	प्रस्तावित प्रयोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 1121 पर जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत चिन्नु के खातेदार 71 बीघा 8 बिस्वा गैर खातेदार 164 बीघा 6 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की जानी है ।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्धेश्य और महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i)परामर्श(ii)सर्वेक्षण (iii)सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दें।	(i)परामर्श (ii)सर्वेक्षण (iii)सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा-2(1) के अंतर्गत लागू नहीं है
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति केसाथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड.)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही	हॉ

	अकृत और शून्य हो जायेगी।	
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी	अधिशाषी अभियन्ता 24 वां खण्ड इगानप फलोदी

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।